उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

शुक्रवार, 25 फाल्गुन, शक संवत्, 1928

(दिनांक : 16 मार्च, 2007)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न ।

2. संसदीय कार्य मंत्री, परिसीमन अधिनियम 2002 की धारा 10 की उपधारा (3) के अनुसरण में धारा 8 एवं 9 में दिये गये प्राविधानानुसार भारत परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 35, अधिसूचना संख्या 282/यू0टी0ए0/2006, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को सदन के पटल पर रखेंगे।

3. मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(5) के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा (4) के अधीन जारी की गई गृह विभाग की अधिसूचना संख्याः 1969/XX(3)-255/विविध/2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005, को सदन के पटल पर रखेंगे।

4. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

5. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

6. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

7. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

8. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"क"**)

9. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

10. डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत) एवं मतदान :-

"यह सदन श्री राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 मार्च, 2007 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

11. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

12. जनपद रूद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली में विधायक निधि से मिलन केन्द्र 1- सेरा भरदार 2- सौंराखाल भरदार 3- नौली भरदार 4- सेम बाडमा 5- भूनालगाँव पूर्वी बांगर के निर्माण के सबंध में श्री मातबर सिंह कण्डारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2007 को दी गई सूचना पर, मुख्यमंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 16 मार्च, 2007

(महेश चन्द्र)
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "क"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:- "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1. कुम्भ मेले का उल्लेख, 2. जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटीज ऑफ रूरल मैनेजमेंट का उल्लेख, 3. छठे वेतन आयोग का गठन किये जाने, 4. राज्य में कार्यरत दैनिक तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों के विनियमितिकरण किये जाने, 5. जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण में सीमान्त विकास प्राधिकरण के गठन किये जाने, 6. राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में राजस्व पुलिस का गठन किये जाने, 7. राज्य में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर विचार किये जाने, 8. कर्मचारी समन्वय परिषद् का गठन किये जाने, 9. राज्य में विधान परिषद् का गठन किये जाने, 10. प्रदेश में किसानों एवं गरीब जनता के लिए प्राकृतिक आपदा बीमा योजना प्रारम्भ किये जाने, 11. प्रदेश के सभी ग्रामों को वर्ष 2008 तक पेयजल उपलब्ध कराये जाने तथा 12. राज्य में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में।"

2. काजी निजामुद्दीन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त स्थानों को भरे जाने,
2. राज्य के सभी अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने,
3. राज्य में अल्पसंख्यकों को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने,
4. राज्य में उर्दू एकेडमी की स्थापना किये जाने,
5. राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का पुनः सर्वे करवाकर सभी पात्रों को बी0पी0एल0 कार्ड सुनिश्चित कराये जाने,
6. राज्य में सभी गरीब विधवाओं, वृद्धों एवं विकलांगों को पेन्शन दिये जाने,
7. राज्य के किसानों को बीज, जैविक खाद और कम नुकसान पहुँचाने वाली कीटनाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध कराये जाने,
8. राज्य के गन्ना क्षेत्र को मिल की पेराई क्षमता के अनुसार पेराई सत्र 2006-07 समाप्त होने से पहले गन्ना क्षेत्र का पुनः निर्धारण किये जाने,
9. जनपद हरिद्वार में गंगा केनाल की सभी सिंचाई इकाईयों को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा तुरन्त अपने नियंत्रण में लिये जाने,
10. दीक्षित आयोग को तुरन्त भंग कर स्थाई राजधानी की घोषणा किये जाने,
11. राज्य के बेरोजगारों को स्थानीय कारखानों और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में 70 प्रतिशत नौकरियाँ दिये जाने,
12. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने तथा
13. जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत मंगलौर में फायर स्टेशन की स्थापना किये जाने के संबंध में।"

3. श्री नारायण पाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज शक्तिफार्म एवं नानकमत्ता में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत बंगाली विस्थापितों को अनुसूचित जाति की परिधि में शामिल किये जाने,
3. प्रदेश के तराई-भाबर क्षेत्र में स्थाई निवास एवं जाति प्रमाण-पत्रों को जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज में "सिड़कुल" औद्यौगिक आस्थान (एरिया) का विकास एल्डिको कम्पनी के माध्यम से कराये जाने के प्रकरण की जांच कराये जाने,
5. प्रदेश के तराई क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि का मालिकाना हक दिये जाने पर नजराना कम करने की अनुशंसा किये जाने,
6. राज्य के प्रत्येक ब्लाक में रोजगार परक शिक्षा केन्द्र खोलने,
7. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत शक्तिफार्म क्षेत्र में बीड़ी बनाने व रजाई बनाने वाले मजदूरों को शासन की नीति के हिसाब से मजदूरी प्रदान कराये जाने,
8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक में सरकारी राशन (कोटे) की दुकानों पर शासन की नीति के अनुरूप राशन, मिट्टीतेल व अन्य सामग्री का पर्याप्त वितरण कराने,
9. उत्तराखण्ड राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय उद्योगों में 70% आरक्षण सुनिश्चित किये जाने,
10. जनपद ऊधमसिंह नगर के शक्तिफार्म क्षेत्र में कटना नदी पर एवं नानकमत्ता से ग्राम ऐचताविही की ओर 100 मीटर स्पान पुल तथा ग्राम गुरुनानक नगरी-गोढ़ा में पुल बनाये जाने,
11. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज ब्लाक में नदी, नाले डाम क्षेत्र किनारे बसे दलित, रायसिख, पिछड़े व अन्य वर्ग के लोगों को पट्टा व जमीन का मालिकाना हक दिलाये जाने,
12. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत सितारगंज में पॉलिटैक्निक, आई.टी.आई. एवं सेवायोजन कार्यालय की स्थापना किये जाने,

13. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत काशीपुर-बाजपुर को मिलाकर एक नया जिला बनाये जाने तथा

14. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा को नया जिला बनाये जाने के संबंध में।"

4. श्री दिनेश अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. एम0डी0डी0ए0 द्वारा अधिग्रहित की जा रही 06 गावों की भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने,
2. देहरादून की टी0एच0डी0सी0 कालोनी नारायण विहार, टी0एच0डी0सी0 कालोनी देहराखास/बंजारावाला के आन्तरिक मार्गों के अधूरे कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाने,
3. देहरादून में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्टों के शीघ्र निर्माण,
4. देहरादून में बिन्दाल नदी के लाल पुल की दूसरी ओर की सीवरेज नहीं है, उसे शीघ्र बनाये जाने तथा
5. देहरादून की मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने की घोषणा के संबंध में।"

5. श्री गोपाल सिंह राणा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड के सीमान्त क्षेत्र में निवास करने वाले थारू एवं बुक्सा जन-जाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर विशेष भर्ती अभियान चला कर सरकारी नौकरी में रखे जाने,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा जन-जाति क्षेत्र में प्रस्तावित खेल स्टेडियम को शीघ्र स्वीकृत किये जाने,
3. उत्तराखण्ड के समस्त जन-जाति आश्रम पद्धति विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
4. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत प्रस्तावित खटीमा बाईपास का निर्माण शीघ्र किये जाने,
5. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत जीर्ण-शीर्ण खटीमा रोडवेज बस अड्डे का पुनः निर्माण कराने,
6. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा जन-जाति क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कालेज की स्थापना किये जाने,
7. उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र में वर्ग चार की भूमि को यथाशीघ्र कब्जेदारों के नाम नियमितिकरण कराये जाने,

8. जनपद ऊधमसिंह नगर के अन्तर्गत खटीमा क्षेत्र में बहने वाली दोहा, परवीन, कामिनी, लोहिया, सनिया, जगबूड़ा नदियों से हर वर्ष अतिवृष्टि एवं बाढ़ से सैकड़ों एकड़ भूमि कटाव को रोकने,

9. जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज, खटीमा तथा जनपद चम्पावत के टनकपुर एवं बनवसा क्षेत्र को मिलाकर खटीमा को जिला बनाये जाने,

10. प्रदेश में थारू जन-जाति को पूर्व की भांति वन विभाग से जलौनी लकड़ी एवं हकूक लकड़ी की माफी दिये जाने तथा

11. जनपद ऊधमसिंह नगर के स्थानीय उद्योगों में थारू एवं बुक्सा जन-जाति के युवकों को नौकरी में आरक्षण सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।"

6. श्री बलवीर सिंह नेगी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य को ऊर्जा प्रदेश बनाने हेतु पूर्व में घोषित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी नीति बनाये जाने,

2. राजस्व पुलिस की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें अधिक सुविधा व अधिकार देकर दूरस्थ ग्रामीण अंचल में कानून व्यवस्था ठीक किये जाने,

3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को एक वित्तीय वर्ष में- (1) कम से कम 100 कि0मी0 नवीन मोटर मार्ग निर्माण (2) 50 कि0मी0 डामरीकरण (3) 5 झूला पुल (4) 5 नवीन इण्टरमीडिएट कालेज (5) 5 नवीन हाईस्कूल (6) 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिये जाने,

4. उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निराकरण किये जाने,

5. प्रदेश में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों, बी0एड0, बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 डिप्लोमा इन्जिनियरों तथा अन्य प्रशिक्षित और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को सेवायोजित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने,

6. प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने,

7. प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने,

8. जनपद टिहरी गढ़वाल में, घमातोली, दोणी, रगड़ी, बनोली, पटुड़गांव, बुगीलाधार, उतराह सौला में मिनी स्टेडियम की स्थापना करने,

9. आपदा प्रबन्धन विभाग को सुव्यवस्थित कर दैवीय आपदाओं से निपटने हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने,

10. जनपद टिहरी गढ़वाल के गोना, बूढ़ाकेदार, अगुण्डा, कोट, निवालगांव, मरवाड़ी, मेड़, पिश्वाड़ में दैवीय आपदा से प्रभावितों को पुर्नवासित कराये जाने,

11. जनपद टिहरी गढ़वाल में जू0हा0स्कूल कठैती, जू0 हा0 स्कूल दोणी, जू0 हा0 स्कूल पाख, जू0 हा0 स्कूल कोठियाड़ा, जू0 हा0 स्कूल कांगड़ा, जू0 हा0 स्कूल गंगी, जू0 हा0 स्कूल बहेड़ी, जू0 हा0 स्कूल पट्टुड़गांव, जू0 हा0 स्कूल फलेण्डा, जू0 हा0 स्कूल ढाबसौड़, जू0 हा0 स्कूल स्यूरी, जू0 हा0 स्कूल पौनाड़ा तथा राजकीय हाईस्कूल मगरौं का उच्चीकरण करने,

12. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार-झाला हल्का वाहन मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तित करनें, सौंप-आर्स-नैक्वाड़ा-चुरेना-चानी मोटर मार्ग, मैगाधार-आली-सरुणा-बडियारकुड़ा, हरिजन बस्ती गन्वाड़ी- कोट-करखेड़ी मोटर मार्ग, चमियाला-कांगड़ा मोटर मार्ग, अगुण्डा-तितुर्णा मोटर मार्ग, क्वीलाखाल-गेंवली-सौंड़-बुढ़वां-लैणी, रानीगढ़ मोटर मार्ग, मतकुड़ी सैण-बगर- सरपोली जगदीशीला मोटर मार्ग, दोणी- समणगांव-मरगांव-देवंज-ढ़कोन-दर्जियाना-त्रिकोट मार्ग का निर्माण व सरकण्डा-म्यार मोटर मार्ग तथा बनोली-कोट-चौटारा-भट्व्गांव-लोदस-आर्स मोटर मार्ग का निर्माण करने,

13. पटागली, असेना, घोंटी, पिपोला, गौजियाण, पिलखी के आंशिक डूब क्षेत्र को पूर्ण डूब क्षेत्र का दर्जा दिये जाने,

14. जनपद टिहरी गढ़वाल के सभी परिवारों को टिहरी बांध से मुफ्त बिजली दिये जाने,

15. शिक्षा बन्धु, शिक्षा मित्र को नियमित किये जाने,

16. जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत पर्यटन विकास के लिए विकास खण्ड घनसाली जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार, घुत्तू, मासरताल, जरालताल, मज्याड़ताल, लम्बताल, लिंगताल, मासूताल, सहस्त्रताल क्यारखी बुग्याल, कुशकल्याण, झाला, बेलख, खतलिंग, गंगी, पिन्शवाड़, पंवाली कांठा, विशोन पर्वत, जगदीशीला, रतकोट, बाला सुन्दरी, बेलेश्वर, दुदाधारी,ज्वालामुखी, राजराजेश्वरी, हटकुणी, तिनगडिया, रानीगढ़, माणिकनाथ को पर्यटन विकास के लिए चिन्हित किये जाने,

17. प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनैक्शन दिये जाने,

18. प्रदेश में होमगार्डों के वेतन में प्रतिदिन 50/- रू0 की बृद्धि किये जाने,

19. उ0प्र0 के विकल्पधारी कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अविलम्ब कार्यमुक्त कर उ0प्र0 भेजे जाने तथा उनकी जगह पर शिक्षित- प्रशिक्षित बेरोजगारों को नियुक्त किये जाने,
20. उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के घायलों-पीड़ितों को विशेष मुआवजा व सम्मान दिये जाने,
21. प्रदेश के अंशकालिक पी0टी0सी0 कर्मियों को नियमित किए जाने,
22. प्रदेश में फलोत्पादन बीमा लागू किये जाने,
23. जनपद टिहरी गढ़वाल के कफोल गांव, विनकखाल, किरेथ, भटगांव, ज्यूंदाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
24. जनपद टिहरी गढ़वाल के चुरेना (बालगंगा), होलानाखाल, पौखाल में विकास खण्ड खोले जाने,
25. टिहरी बांध के कारण भूगोल परिवर्तित होने के कारण घनसाली तहसील को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने,
26. पंगेठी में झूला पुल का निर्माण किये जाने,
27. जनपद टिहरी गढ़वाल में महाविद्यालय खोले जाने,
28. जनपद टिहरी गढ़वाल के विनकखाल, सरकण्डा, कोन्ती-किरेथ हेतु लिफ्ट पेयजल योजना को स्वीकृत किये जाने,
29. रीह से पंवाली, लाटा से चूलागढ़, बूढ़ाकेदार से ज्वालामुखी, जगदीगाड़ से जगदीशिला, दल्ला से किमुण्डाखाल की यातायात व्यवस्था हेतु रोपवे लगाये जाने,
30. उत्तराखण्ड में चीड़ की पत्तियों पर आधारित कोयला तथा गत्ता उद्योग लगाये जाने तथा
31. अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में लिये जाने के संबंध में।"

7. हाजी तस्लीम अहमद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लालढ़ाग के वन गुर्जरों जिनको वनों से निकाल कर उन्हें गैन्डीखाता एवं पथरी में बसाया जा रहा है, की सुविधाओं जैसे उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सालय, पेयजल, सिंचाई, विद्युत, सड़क, आवास, आदि के लिए कोई उल्लेख,
2. विधान सभा क्षेत्र लालढांग में बस रही जनजाति के लिए पेयजल, सड़क, चिकित्सा आदि की सुविधा का उल्लेख,
3. हज कमेटी से हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए उनकी सुविधा के लिए कोई उल्लेख,

4. कृषि भूमि की सिंचाई के लिए नलकूप, बिजली, गूल निर्माण आदि का उल्लेख,
5. वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति व कमेटी के स्वरूप का उल्लेख तथा
6. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने के लिए विकास क्षेत्र लालढ़ांग गैन्डीखाता (गुर्जर बस्ती), धनपुरा, घिस्सुपुरा व सुल्तानपुर कुन्हारी में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना के संबंध में।

8. श्री हरिदास

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. पिरान कलियर शरीफ में साबिर साहब की दरगाह पर सरकारी खर्च पर मेला लगवाये जाने,
2. दलित आबादी में पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के संबंध में,
3. बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को बढ़िया खाद्यान्न दिये जाने,
4. स्पेशल कम्पोनेन्ट के धनराशि का दुरूपयोग रोके जाने,
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोटा भरे जाने,
6. जाति-प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किये जाने,
7. कृषि बीज पर किसानों को 50% छूट दिये जाने,
8. महिलाओं के सशक्तिकरण तथा
9. शिक्षित बेरोजगारों नव युवकों को सिड़कुल उद्योगों में 70% स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार दिये जाने के संबंध में।"

9. श्री यशपाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान के तहत पदों को भरे जाने,
2. राज्य में बिना आय सीमा के निर्धारण किये हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने,
3. राज्य में पॉलीटेक्निक कालेजों एवं आई. टी. आई. में प्रशिक्षकों को रिक्त पदों पर विशेष भर्ती अभियान के अर्न्तगत तैनात किये जाने,

4. पर्वतीय क्षेत्र में वन आधारित एवं फल उत्पाद से सम्बन्धित परियोजनाओं को विशेष अनुदान प्रदान करते हुए 'सिंगल विन्डो' के तहत स्वीकृति दिये जाने,

5. पर्वतीय क्षेत्र में फल एवं सब्जी उत्पादकों कों सस्ते दामों पर खाद, खरपतवारनाशक एवं कीटनाशक दवाइयां ब्लाक स्तर पर उपलब्ध किये जाने,

6. जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट, कोटाबाग एवं रामगढ़ में विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु सीमित परिव्यय में बृद्धि किये जाने,

7. पर्वतीय क्षेत्र में विद्यालयों के उच्चीकरण के मानकों में शिथिलीकरण किये जाने,

8. जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट, कोटाबाग एवं रामगढ़ में ट्यूबैल सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु सीमित परिव्यय में आवश्यकतानुसार वृद्धि किये जाने,

9 पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन एवं बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण एवं नियंत्रण हेतु पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था किये जाने,

10. राज्य में स्पेशल कम्पोनेन्ट एवं ट्राइबल सब-प्लान के अन्तर्गत निर्धारित आय-व्यय की धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग किये जाने,

11. राज्य में जंगली पशुओं से फसलों को होने वाली क्षति को रोकने के लिए सोलर पावर फैंसिंग हेतु बजट उपलब्ध किये जाने,

12. राज्य में निर्मित प्रेक्षागृहों के अनुरक्षण कार्यो हेतु अलग से धन आवंटन किये जाने,

13. वन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए इनके विकास हेतु एक विशेष निधि का सृजन किये जाने,

14. राज्य में सोयाबीन के घटते उत्पादन को दृष्टिगत रखते हुए सोयाबीन उत्पादकों को विशेष प्रोत्साहन दिये जाने तथा

15. जनपद नैनीताल के विकास खण्ड बेतालघाट में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने के संबंध में।"

10. श्री प्रेमानन्द महाजन

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. उत्तराखण्ड में रह रहे बंगाली अनुसूचित जाति के उपजाति नमः शुद्र, पौण्ड, माझी आदि जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाये जाने,
2. विधान सभा क्षेत्र पन्तनगर-गदरपुर के नगर पालिका-गदरपुर में बाईपास व महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में,
3. वर्ग चार के जमीनों को नियमितीकरण हेतु न्यूनतम शुल्क निर्धारण का उल्लेख,
4. पन्तनगर विश्वविद्यालय में 240 दिन कार्य कर चुके श्रमिकों को स्थायी नियुक्ति का आश्वासन तथा पन्तनगर विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के मकानों के मरम्मत, नवनिर्माण के संबंध में,
5. प्रदेश में रह रहे दलित, पिछड़ी, अनुसूचित जनजाति जैसे बुक्सा, थारू आदि जाति के लोगों के लिये कल्याण हेतु नीति का उल्लेख तथा
6. पन्तनगर-गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक असंतोष दूर करने के लिये कोई ठोस प्रयास के संबंध में।"

11. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. सहकारी चीनी मिलों में गन्ने के रस से इथेनोल बनाने की यूनिटों की स्थापना,
2. जनपद ऊधमसिंह नगर के जसपुर में खेल स्टेडियम,
3. जनपद ऊधमसिंह नगर में राजकीय महाविद्यालय जसपुर की स्थापना,
4. ग्रामीण क्षेत्रों में निजी शौचालयों का लक्ष्य बढाया जाना,
5. नगरीय क्षेत्रों में बाल्मिकी अम्बेडकर आवास योजनाओं की स्पष्ट नीति,
6. आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित बी0पी0एल0 परिवारों के बी0पी0एल0 कार्ड बनाना तथा
7. फसल बीमा योजना जनपद ऊधमसिंह नगर में लागू किये जाने के संबंध में।"

12. श्री सुरेन्द्र राकेश

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. महंगाई और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने,
2. हरिद्वार जनपद में शराब माफियाओं तथा भू-माफियों पर अंकुश लगाने,
3. नियमित विद्युत आपूर्ति देने, हरिद्वार जनपद के खेड़ी शिकोपुर, सिकरोढ़ा दलित बस्ती, पिरान कलियर शरीफ मार्किट नई बस्ती, महमूदपुर, शाहपुर, भगवानपुर, मकनपुर आदि गाँव में खराब ट्रांसफार्मर ठीक कर विद्युत आपूर्ति नियमित करने,
4. सिड़कुल की तरह हरिद्वार जनपद के अन्य रायपुर, लक्सरी, भगवानपुर, पुहाना औद्योगिक क्षेत्र के विकास का उल्लेख,
5. औद्योगिक संस्थानों में 70% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने की ठोस नीति,
6. किसानों को निजी ट्यूबवैल पर बिजली विभाग द्वारा तत्काल कनेक्शन जारी करवाये जाने तथा किसानों को फ्री बिजली उपलब्ध कराने का प्राविधान किये जाने,
7. गन्ना किसानों व सब्जी किसानों की समस्या के संबंध में,
8. हरिद्वार जनपद में चुडियाला में चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण किए जाने,
9. दलितों, पिछड़ों व गरीब सामान्य निर्धन व गरीब अल्पसंख्यक (मुस्लिम वर्ग) को आवासीय पट्टे उपलब्ध करवाये जाने का प्राविधान,
10. हरिद्वार जनपद में दिए गए आसामी पट्टों को संक्रमणीय पट्टे में परिवर्तित किये जाने तथा सामान्य गरीब और गरीब अल्पसंख्यकों को जोत पट्टे आवंटित किये जाने,
11. दलितों को 21.5% आरक्षण दिये जाने,
12. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संचार, बिजली की सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,
13. हरिद्वार जनपद के किसानों को सूखे से हुई हानि का मुआवजा,
14. हरिद्वार जनपद में उद्यान क्षेत्र भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र का सिकरोंढा क्षेत्र फल पट्टी के फल उत्पादकों की आम की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा,
15. कुम्भ मेला क्षेत्र का विकास,

16. विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ के विकास के संबंध में,

17. हरिद्वार जनपद के भगवानपुर विधान सभा क्षेत्र के घाड़ क्षेत्र में सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, नदियों का कटाव, बेरोजगारी की समस्या, आवागमन हेतु सड़क, नदियों पर पुलों का निर्माण, जंगली जानवरों द्वारा प्रतिवर्ष जानमाल के नुकसान, खरीद व फसल बेचने के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर होने की समस्या,

18. रोशनाबाद मुख्यालय से बिहारीगढ़ तक सड़क का निर्माण,

19. नाबार्ड द्वारा गोद लिए गए ब्लाक भगवानपुर का सर्वे कराकर क्षेत्र की योजना बनाकर ब्लाक का समुचित विकास,

20. घाड़ क्षेत्र में हसनपुर, मदनपुर, सौलानी नदी के पुल का निर्माण,

21. खेड़ी शिकोपुर सौलानी नदी पर पुल का निर्माण,

22. भगवानपुर से सिकरोठा मार्ग का बाया डाडा जलालपुर से खेड़ी शिकोपुर तक पुनः नवीनीकरण कर मार्ग का निर्माण,

23. सिड़ियान ग्रन्ट से मजाहदपुर सतीवाला तक सड़क का निर्माण,

24. घाड़ क्षेत्र में इसी वित्तीय वर्ष में तीन राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने,

25. घाड़ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना,

26. भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र में पॉलिटेक्निक तथा आई0टी0आई0 की स्थापना,

27. भगवानपुर क्षेत्र में एक डिग्री कालेज की स्थापना,

28. कलियर शरीफ क्षेत्र में एक डिग्री कालेज व एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना तथा

29. सिंचाई के साधन सरकारी ट्यूबवैल लगाकर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।"

13. मौ0 शहजाद

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. अल्पसंख्यक/मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए कोई योजना,
2. मुस्लिम समुदाय को रोजगार में आरक्षण,
3. अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने,
4. गन्ना किसानों के लिए गन्ने का दाम बढ़ाने,

5. सिड़कुल हरिद्वार से औद्योगिक संस्थानों में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना,
6. हरिद्वार जनपद में अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय खोले जाने,
7. प्रदेश की हर न्याय पंचायत पर बालिका इण्टर कालेज खोले जाने तथा
8. हरिद्वार जनपद के अहमदपुर ग्रण्ट के डेरा धोलुवाला को न उजाड़ने के संबंध में।"

14. श्री किशोर उपाध्याय
श्री केदार सिंह रावत
श्री मनोज तिवारी
श्री करन माहरा
श्री प्रीतम सिंह
श्री राजेश जुवांठा
श्री रणजीत सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. महंगाई को रोकना,
2. प्राथमिक शिक्षा का सुधारीकरण,
3. स्थायी राजधानी की स्थापना,
4. ग्रामीण क्षेत्रों का विकास,
5. सड़क दुर्घटनाओं पर रोक,
6. जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा एवं उन पर नियंत्रण,
7. टिहरी बांध विस्थापितों की समस्याओं का निराकरण व पुनर्वास नीति का निर्माण,
8. औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय रानीचौरा को एक्सीलेंस सेन्टर के रूप में स्थापित करना,
9. जनपद टिहरी गढ़वाल के कमान्द में डिग्री कॉलेज की स्थापना,
10. जनपद टिहरी गढ़वाल के डिबनू में मेडिकल कॉलेज की स्थापना,
11. प्रतापनगर को नया जिला घोषित करना तथा नये जनपदों का सृजन,
12. नरेन्द्रनगर में बेस अस्पताल की स्थापना,
13. जनजाति क्षेत्र चकराता में टी0एस0पी0 के माध्यम से सड़कों का हॉट मिक्स से सुधारीकरण,
14. चकराता जनजाति क्षेत्र में आश्रम पद्धति के विद्यालयों की स्थापना,
15. जनजाति क्षेत्र चकराता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना,
16. कालसी व त्यूणी में पॉलिटेक्निक की स्थापना,
17. चकराता को अलग जनपद घोषित करना,
18. चकराता के अन्तर्गत खाटुवा, बनियाना, बनियाना, सेंज, उदावा गांव को मोटर मार्ग से जोड़ना,

19. चकराता से टाइगर फॉल तक रोपवे का निर्माण,
20. चकराता क्षेत्र में छुमरा, लोहारी, खबऊ, मैपाउटा, उबरोऊ में नये हाईस्कूल तथा हाईस्कूल से इण्टर स्तर पर उच्चीकरण,
21. लाखामण्डल में नये आई0टी0आई0 की स्थापना,
22. पुरोला क्षेत्र के अन्तर्गत 42 गांवों की जनता को गोविन्द पशु विहार के अन्तर्गत शिथिलीकरण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाना,
23. रवांई क्षेत्र में जनपद घोषित करना,
24. यमुना में लघु उद्योग की स्थापना,
25. यमुना घाटी में पर्यटन स्थलों का विकास,
26. पुरोला विधान सभा क्षेत्र में न्याय पंचायत की स्थापना,
27. पुरोला विधान सभा क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना,
28. अल्मोड़ा जनपद के सरयू सेरा घाट पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण,
29. अल्मोड़ा में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की स्थापना,
30. अल्मोड़ा में सेन्टर ऑफ लॉ की स्थापना,
31. अल्मोड़ा नगर में माल रोड से धरानौला स्वीकृत भूतल लिंक मार्ग की स्थापना,
32. कैंट क्षेत्र रानीखेत में खेल मैदान/स्टेडियम का निर्माण, जो सिविल पब्लिक के अन्तर्गत हो,
33. रानीखेत को जिला/नगर पालिका घोषित करना,
34. मझखाली ब्लाक का गठन करना,
35. उद्योगों में 70% आरक्षण के साथ-साथ रानीखेत क्षेत्र में एक आई0टी0आई0, एक पॉलिटेक्निक खोला जाना,
36. रानीखेत महाविद्यालय में बी0पी0एल0 परिवार और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क आवास सुविधा,
37. रानीखेत महाविद्यालय में एम0कॉम0 की कक्षा खोला जाना,
38. रानीखेत में यूथ हॉस्टल का निर्माण,
39. खाल्टा व जौनपुर को केन्द्रीय अनुसूची में जोड़ा जाना,
40. यमनोत्री धाम से तीर्थाटन व आसपास के क्षेत्रों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाना,
41. बड़कोट एवं चिन्यालीसौड़ महाविद्यालय भवन का निर्माण,

42. दिल्ली यमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का हॉट मिक्स से सुधारीकरण,
43. पारम्परिक सांस्कृतिक मेलों के राजकीय अनुदान,
44. उद्योगों, वन, उद्यान व अन्य संसाधनों का समुचित दोहन व क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार के लिए उद्योगों की स्थापना,
45. भेषज संघ उत्तरकाशी पर आरोपित दोहरे सेल्स टैक्स की माफी हेतु प्रस्ताव,
46. ब्रह्मखाल में आई0टी0आई0 की स्थापना,
47. सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना,
48. मौलेखाल, सल्ट, सराईखेत और मल्ली स्यूणी में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में स्वीकृत महाविद्यालयों की शीघ्र स्थापना,
49. सल्ट बासौठ और सराईखेत में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत आई0टी0आई0 की स्थापना,
50. मरचूला सल्ट में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत आश्रम पद्धति के विद्यालय की स्थापना,
51. तल्ला सल्ट मछोड़ में मुख्यमंत्री घोषणा में स्वीकृत तहसील की स्थापना,
52. उत्तरकाशी के पिछड़े क्षेत्र में मेडिकल व इजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना तथा
53. दिचली, गमरी व बिष्ट पट्टी ब्लाक चिन्यालीसौड़ को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के संबंध में।"